ऑन लाईन नं. GCMS 2022/9

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 08/2021

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री राजकुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री लादुराम , प्रोप्राईटर
   मैसर्स :– राज ट्रेडिंग कम्पनी, 107, ओल्ड धानमण्डी , श्रीगंगानगर।
   निवासी –3 वाई 10, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
2. श्री अमित जैन, भागीदार
   मैसर्स स्वास्तिक एग्रो फूड प्रोसेसर, गिल पट्टी, सीवान रोड, ईन्डस्ट्रीयल ऐरिया, भटिंडा, पंजाब।
3. श्री सौरभ अरोड़ा, भागीदार
   मैसर्स स्वास्तिक एग्रो फूड प्रोसेसर, गिल पट्टी, सीवान रोड, ईन्डस्ट्रीयल ऐरिया, भटिंडा, पंजाब।
4. श्री योगेश सुखीजा, भागीदार
   मैसर्स स्वास्तिक एग्रो फूड प्रोसेसर, गिल पट्टी, सीवान रोड, ईन्डस्ट्रीयल ऐरिया, भटिंडा, पंजाब।
5. मैसर्स स्वास्तिक एग्रो फूड प्रोसेसर, गिल पट्टी, सीवान रोड, ईन्डस्ट्रीयल ऐरिया, भटिंडा, पंजाब।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 25.02.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 28.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2021 को दोपहर 01:00 पी.एम. पर फर्म मै. राज ट्रेडिंग कम्पनी, 107, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजकुमार आहुजा पुत्र

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

स्व. श्री लादुराम उपस्थित मिले। मौके पर प्रस्तुत जीएसटी–06 मय एलैक्सर ए एव बी, फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में खाद्य पदार्थ **घी (सी–फाम)** आम जनता के विक्रय हेतु 6 काटर्न (प्रत्येक में 1 लीटर के 15 पैकेट) रखे हुए थे। जिसके अमानक/सबस्टेन्र्डड स्तर का शक होने पर 4 पैकेट प्रत्येक 1 लीटर खद्य पदार्थ **घी (सी–फाम)** वास्ते नमूना जांच एफएसएसए के तहत नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिये गवाहान के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया था। विक्रय मूल्य 1344/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता व गहवान के समक्ष खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (सी–फाम)** के प्रत्येक जार पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकायें जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर **के–1154** अंकित कर गवाहन एवं खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये तथा मैने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक **के–1154** नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया। समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसे पढकर , पढाकर, समझाकर व सही मानकर होश हवास में मैने, गवाह व भागीदार ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक , बीकानेर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक , बीकानेर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा अगले कार्य दिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला बीकानेर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/117/एक्ट/2021/116 दिनांक 12.04.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1154 घी (सी–फाम) अमानक स्तर** (Sub Standard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राजकुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री लादुराम मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी, 107, ओल्ड धानमण्डी , श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **घी (सी–फाम)** का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 07.02.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्तों को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि सभी अभियुक्तो की तरफ से मै जबाब पेश कर निवेदन करना चाहता हूँ कि मै प्रार्थी मकान नम्बर 3 आई 10 जवाहरनगर श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 107 पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 296/2022 दिनांक 17.02.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में घी (सी–फाम) की जांच की गई तो घी Sub Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (सी–फाम)** सैम्पल **के–1154** जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/117/एक्ट/2021/116 दिनांक 12.04.2021 द्वारा **सब स्टैण्डर्ड** होना पाया गया है जो अन्तर्गत धारा 3(1)(zf) of Food safety and Standard Act-2006 का उल्लधन है जोकि एफएसएसए एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(ii) का उल्लधंन है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 296/2022 दिनांक 17.02.2022 का दिया है कि आपकी दुकान में घी (सी–फाम) की जांच की गई तो घी Sub Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त घी में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **घी (सी–फाम)** सैम्पल **के–1154** Sample of "Ghee (Ce Fham)" bearing Code No. and Sr. No. K-1154 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Substandard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

फलस्वरूप अभियुक्त श्री राजकुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री लादुराम मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी, 107, ओल्ड धानमण्डी , श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री राजकुमार आहुजा पुत्र स्व. श्री लादुराम को under section 3(1)(zf) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 50,000–00 (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **घी (सी–फाम)** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर